

प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनोपीओ) के  
भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या—एफ०एन० 5-3/2007 (एफ०सी०, डिवीजन) दिनांक—०५-०२-२००९ द्वारा ३० वर्षों के लिए वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन०पी०वी०) और बढ़ी दरों के अनुसार धनराशि को पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) वन विभाग उत्तर प्रदेश को ई-पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।

०५/१९/११/२०८  
रमेश चन्द्र (कटियार)  
अधिकारी अभियन्ता  
पीएम०जी०एसवाई०बांड, अधिशासी अभियंता  
सोलाक निर्माण विभाग सोनभद्र